

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/संस्था-5,6/स्थाना0/2013/18901-35

दिनांक: 28-6-2013

आदेश

निम्नांकित मंत्रालायिक कर्मचारियों एवं सहायक कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05.07.2013 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो।

उक्त शर्तें पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्था प्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं पदस्थापन स्थान वहीं है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि
1	अब्दुल अमीन खां	वरिष्ठ लिपिक	रावउपासंवि बौली सवाईमाधोपुर	रावउपासंवि रामसिंहपुरा जयपुर	पद सहित
2	नवनीत शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	राप्रवेसंवि कापरेन बूंदी	राप्रवेसंवि जवाहरनगर बूंदी	पद सहित
3	दिनकर पाठक	वरिष्ठ लिपिक	रावउपासंवि कोटा से डूंगरजा कोटा स्थानान्तरणाधीन	राआसंमहा, कोटा	कार्यालय सहायक पद विरुद्ध
4	श्री देवी सिंह भाटी	क.लि.	रावउपासंवि झाडोली सिरोही	राप्रवेसंवि गोलिया बास उमरनी सिरोही	पद सहित
5	श्री सागरमल	च.श्रे.क.	रावउपासंवि बोपिया सीकर	राप्रवेसंवि मंगरावाली ढाणी, जयपुर	पद सहित
6	श्री कैलाश राम जाट	च.श्रे.क.	रावउपासंवि श्रीमाधोपुर से चक दातारामगढ स्थानान्तरणाधीन	राप्रवेसंवि पुजारीकाबास सीकर	पद सहित
7	रामप्यारी	च.श्रे.क.	संभागीय कार्यालय कोटा संभाग कोटा	रावउपासंवि कोटा	रिक्त पद पर
8	श्रीमती चॉदी देवी	च.श्रे.क.	संभागीय कार्यालय उदयपुर संभाग उदयपुर	राप्रवेसंवि राशमी चित्तौडगढ	रिक्त पद पर
9	कजोडमल माली	च.श्रे.क.	रावउपासंवि शाहपुरा जयपुर	रावउपासंवि मनोहरपुर जयपुर	लेवबॉय पद के विरुद्ध

10	चम्पालाल	प्रयोगशाला सेवक	रावउपासंवि झाडोली सिरौही	रावउपासंवि सादडी, पाली	पद सहित
----	----------	--------------------	--------------------------	------------------------	---------

आदेश प्रसारित होने से पूर्व जिन कार्मिकों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश है, तथा जिन कार्मिकों ने पूर्व स्थानान्तरित स्थान पर कार्यारम्भ कर लिया है, उन पर उक्त आदेश लागू नहीं होंगे।



(डॉ मण्डन शर्मा)

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/संस्था-5.6/स्थाना0/2013/18901-35
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक: 28-6-2013

1. निजी सचिव, मान0संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित प्राचार्य/संकुल प्रभारी
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. व्यक्तिगत पंजिका/रक्षित पंजिका



(डॉ विश्वम्भर दयाल जोशी)

संयुक्त निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर